


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2014/श्रावण 31, 1936

No. 442]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2014/SRAVANA 31, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2014

सा.का.नि.608(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन)योजना, 2014 कहा जाए।
(2) यह 01 सितम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।
2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में-
 - (क) पैराग्राफ 2 के खण्ड (च) के उप खण्ड (ii) में शब्द “छः हजार और पांच सौ रुपये” को शब्द “पन्द्रह हजार रुपये” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ख) पैराग्राफ 26 के उप-पैरा (6) में शब्द “छः हजार और पांच सौ रुपये” को शब्द “पन्द्रह हजार रुपये” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ग) पैराग्राफ 26क के उप-पैरा (2) के परन्तुक में शब्द “छः हजार और पांच सौ रुपये” जहां कहीं आते हों उसे शब्द “पन्द्रह हजार रुपये” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. एस-35012/1/2012 एसएस-II]

अरुण कुमार सिन्हा, अपर सचिव

टिप्पणी: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 दिनांक 2 सितम्बर, 1952 को संख्या सा.का.नि. 1509 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी और संगत पैरा-ग्राफों को बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था:-

- (1) सा.का.नि. 584, दिनांक 11 मई, 1959
- (2) सा.का.नि. 1522, दिनांक 16 दिसम्बर, 1960
- (3) सा.का.नि. 201, दिनांक 8 फरवरी, 1961
- (4) सा.का.नि. 689, दिनांक 19 अक्टूबर, 1990
- (5) सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 4 मई, 2001

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2014

G.S.R. 608 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with Sub-section(1) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2014.
(2) It shall come into force on and from the 1st day of September, 2014.
2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952,-
(a) in paragraph 2, in clause (f), in sub-clause (ii), for the words "six thousand and five hundred rupees", the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted;
(b) in paragraph 26, in sub-paragraph (6), for the words "six thousand and five hundred rupees", the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted;
(c) in paragraph 26A, in sub-paragraph (2), in the proviso, for the words "six thousand and five hundred rupees", wherever they occur, the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted.

[F. No. S-35012/1/2012-SS.II]

ARUN KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Note:- The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 2nd September, 1952 vide notification number S.R.O. 1509 and the relevant paragraphs were subsequently amended as follows:—

1. G.S.R. 584, dated the 11th May, 1959.
2. G.S.R. 1522, dated the 16th December, 1960.
3. G.S.R. 201, dated the 8th February, 1961.
4. G.S.R. 689, dated the 19th October, 1990.
5. G.S.R. 326 (E), dated the 4th May, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2014

सा.का.नि.609 (अ).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) यह योजना कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 कहलाएगी।

